अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

....से...तक

आदेश पत्रक - ता0.., सन् १९...

जिला.., सं0...

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
19/05/2023	(आदेश नीचे देखें)	

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-47/2021

नीलम कुमारी उर्फ नीलम देवी.............................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

अनुपम कुमारी एवं अन्य..................................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद नीलम कुमारी उर्फ नीलम देवी, पति-बिमल कुमार, सा0-विशनपुर, वार्ड नं0-09, ग्राम पंचायत-भतरंधा परमानन्दपुर, प्रखंड-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के आँगनबाड़ी वाद सं0-72/2018 नीलम कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ एवं अन्य में दिनांक 20.11.2018 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है, जिसके द्वारा वादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

दिनांक 11.05.2023 को सुनवाई के उपरांत वाद को आदेश पर लिया गया। निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा उपरोक्त वाद आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 से आच्छादित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी

	के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं संशोधित। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	